उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक /Ref. No.: 547 दिनांक /Date.: 24.08.2021

संवाद–151

आयोग द्वारा जारी मानचित्रकार/प्रारूपकार के पदों पर शैक्षिक अर्हता में अस्पष्टता के संबंध में।

प्रिय अभ्यर्थियों,

अवगत कराना है कि कई अभ्यर्थियों द्वारा पद कोड–283/वि0सं0–35, दिनांक 26 जुलाई, 2021 के पदों पर विज्ञापन में जारी शैक्षिक अर्हता के संबंध में अस्पष्टता का उल्लेख करते हुये इन्हें स्पष्ट करने का अनुरोध उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में सूचित करना है कि शैक्षिक अर्हता आयोग के विज्ञापनों में वही दी जाती है जो राज्य सरकार के सम्बंधित विभागों के सम्बंधित पदों हेतु सेवा नियमावली में निर्धारित होती है। इनकी सुस्पष्ट व्याख्या भी कई बार सम्भव नहीं होती है तथापि इस विज्ञापन के लिए अभिलेख सत्यापन की दृष्टि से निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जा रही है :–

1. पद कोड–283/426 इसमें निम्न अर्हता निर्धारित की गयी है:–
   'सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल अभियन्त्रण या मानचित्रकारिता(सिविल) या स्थापत्य सहायकत्व में प्रमाण–पत्र या डिप्लोमा या कोई उपाधि'
   'इसका अर्थ यह है कि राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त आई0टी0आई0, पालिटेक्निक, विश्वविद्यालय या अन्य संस्थान से सिविल अभियंता या मानचित्रकारिता (सिविल) या स्थापत्य सहायकत्व में प्रमाण पत्र डिप्लोमा या कोई डिग्री होना आवश्यक है'
2. पद कोड–283/901 से लेकर 938 तक निम्न अर्हता निर्धारित की गयी है :–
   'केन्द्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण, केन्द्र अथवा राज्य सरकार से सम्बंधित ट्रेड में डिप्लोमा/आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र ।
   इस पद के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान/विद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त पालिटेक्निक डिप्लोमा या आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।'
3. प्रारूपकार, पद कोड–388/622 में निम्न अर्हता निर्धारित की गयी है :–
   'माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड से हाईस्कूल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो एवं उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद से नक्शानवीश का प्रमाण–पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो'
   'इसका अर्थ यह है कि सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा परिषद से हाईस्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण एवं राज्य सरकार के प्राविधिक शिक्षा परिषद से नक्शानवीस का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई प्रमाण पत्र या डिप्लोमा। *इसमें आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र मान्य नहीं है'*

कृपया इस आवेदन पत्र में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी तद्नुसार संज्ञान लेने का कष्ट करें।

आयोग की ओर से,

24/8/21

(संतोष बडोनी)

सचिव।